जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमरा नम्बर—15 एम.बी, राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004 दुरभाष:+91-141-2569696 Extn. 7015

क्रमांक / जविप्रा / संस्थापन / लेखा / 2019-20 / डी- 105 प

दिनांकः **८/2/19**

बिड आमंत्रण सूचना

बिड संख्या- DC(Admn.)-02/2019-20

जयपुर विकास प्राधिकरण में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवाएँ राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदाता ऐजेन्सियों से बोली आमंत्रित की जाती है जिसकी अनुमानित राशि रू. 11.00 करोड़ रूपये वार्षिक है। दिनांक को सायंकाल 6:00 बजे तक ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा बोली का ऑनलाईन आवेदन व भुगतान जविप्रा पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3:30 बजे तक है। विस्तृत विवरण, जो कि निविदा प्रपन्न में उपलब्ध है, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अथवा राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल www.sppp.raj.nic.in व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक है कि :-

- 1 निविदादाता जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो। निविदा में भाग लेने के लिए बोलीदाता को आवेदन हेतु दस्तावेज शुल्क, बोली प्रतिभूति, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क ऑनलाईन जमा करानी होगी।
- 2 निविदादाता ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सरकार के ई—प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो।

जुणायुक्त (प्रशासन) जुणायुक्त (प्रशासन) रण, अम्बुर जीवेप्रा, जयपुर।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004 Telephone:+91-141-2569696 Extn. 1104

No:- JDA/EST./ ACTT./2018-19/D-1054 Date: 06-02-2019

NOTICE INVITING BID

NIB NO.: DC(Admn.)-02/2018-19

Online Bids are invited for Providing services of Various type of labourers/Civilian Security Guards (skilled/semiskilled/unskilled), JDA jaipur up-to 27.02.2019 @ 6:00 pm. Details may be seen in the Bidding Document at our office or the website of State Public Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jaipurjda.org.

To participate in the bid, bidder has to be:

- 1. Registered on JDA website www.jaipurjda.org. for participating in the Bid, the Bidder has to apply for the Bid and pay the Bidding document fee, RISL Processing fee and Bid Security Deposit, online only.
- 2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajsthan.gov.in for online e-Bid submission.

DC (Admn.)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Room No. MB-15, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004 Telephone:+91-141-2569696 Extn. 1104

No:- JDA/EST./ ACTT./2018-19/D-1054

NOTICE INVITING BID NIB NO.: DC(Admn.)-2/2018-19

Date: 06-02-2019

	NIB NO.: DC(Admn.)-2/2018-19
Name & Address of the Procuring Entity	 Name: Deputy Commissioner (Admn) JDA, Jaipur Address: Room No. 15 Main Block, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Subject Matter of Procurement	 Open Bid for Providing Various type of labourers/Civilian security guards (skilled/semiskilled/unskilled, in JDA, Jaipur.
Period	> For One year
Bid Procedure	Single Stage tender, open competitive Bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	Website: www.sppp.rajasthan.gov.in www.spp.rajasthan.gov.in www.spp.rajasthan.gov.in www.spp.rajasthan.gov.in www.spp.rajasthan.gov.in www.spp.rajasthan.gov.in www.s
Website for online Bid application and payment	 Website: www.jaipurjda.org. For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document fee, RISL, Processing fee and Bid Earnest Money Deposit, online only. Bidding document fee: Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) RISL Processing Fee: Rs 1000/- (Rupees One Thousand only) Requisite Bid Earnest Money Deposit RS. 22,00,000/- (Twenty Lac Only)
Estimated Procurement Cost	> INR 11.00 Crore
Bid Earnest Money Deposit Pre-Bid	 Amount (INR): 2% of Estimated Procurement Cost, N/A
Start/End Date for Bid Applying, Online Payment and Bid Submission	 Start Date: 07.02.2019 at 9.30 AM onward End Date: 27.02.2019 at 6.00 PM
**Date/Time/Place of Bid Opening	28.02.2019 at 3.30 PM Room No. 15, Main Block, Ram Kishore Vyas bhavan, Indira Circle, JawaharLal Nehru Marg, Jaipur- 302004
Bid Validity	> 120 days from the bid submission deadline

*The amount is to be deposited online by bidder. In case the amount exceeds the online payment limit the payment may be made through RTGS/NEFT in ICICI BANK LTD bank account Number 675401700586 IFSC Code ICIC0006754. After successful payment, update the UTR/Instrument number on JDA Tender portal aginst the tender you want to participate. The amount deposited will be confirmed by JDA and will be updated online.

** There should be a gap of 3 working days BETWEEN End date for Bid Applying, Online Payment & Bid Submission AND Bid opening date.

Note:

- 1. Bidder (authorized signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal.
- 2. In case, any of the bidders fails to pay the Bidding documents Fee, Bid Earnest Money, and RISL Processing fee, online (subject to confirmation), its Bid shall not be accepted.
- 3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, Safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also , bidders must register on http://eproc.rajsthan.gov.in (bidders already registered on http://eproc.rajsthan.go
- 4. JDA will not be responsible for delay for online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
- 5. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-Tendering process.
- 6. Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (eProcurement) is also being arranged by DolT&C, GoR on a regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, DolT&C, GoR for booking the training slot.
 - Contact No. 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.in Address: e-Procurement Cell, JDA, YojanaBhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur
- 7. The procuring entitProy reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
- 8. No. Contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
- 9. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
- 10. The provisions of RTPP Act 2012 and Rules thereto shall be applicable for this procurement Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of the bidding document with the RTPP Act 2012 and Rules thereto, the later shall prevail.

DC (Admn)

Process for Participation & Depositing Payment Online

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, has decided to receive Bidding document fee, RISL Processing Fee and Bid Earnest Money Deposit (BSD) through online mode only for which the bidder has to get registered himself on JDA portal www.jaipurjda.org.

To Participate in the bid, bidder has to be:

- 1. Registered on JDA website www.jaipurjda.org. (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three years).
 - For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only.
- 2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.tajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

Methods for depositing on line amount

- Online through Internet Banking, Debit Card or Credit Card.
- ➤ In case the amount exceeds the online payment limit, the payment may be made through RTGS/NEFT/Transfer in Bank Account Number 675401700586 IFSC Code ICIC0006754 of ICICI BANK Limited, JDA Campus , Jaipur.

In case of RTGS/NEFT/Transfer the bidder is required to deposit the requisite amount in the dedicated bank account number as mentioned above and has to get the UTR/Reference number from the bank. This number requires to be updated whiling applying the bid on JDA portal.

While participation in the bid, a receipt will be generated through the system showing the submission details as per Annexure-4. The bidder is required to fill the instrument numbers for various heads on e-Procurement portal www.eproc.tajasthan.gov.in as mentioned in the receipt.

More details about Registration Process, Terms and Conditions and FAQ along with contact detail is available on JDA www.jaipurjda.org. under <u>eServices</u>>> JDA Tender

Jaipur Development Authority Bid Participation Receipt

Date & Time: 05.13 PM

.....

Bid Detail

Bid Title: Testing

Bid Value: 11.00 Corer Bid Opening Place: Room No. 15, Main Block

Jaipur Development Authority

Bidder Detail

Name of Entity: XXXXXXXXXX Mobile No.: 9829012345

Registration Type: Individual Instrument Amount: 100.00

Payment Mode: Online UTR Payment Channel: Payment Gateway ICICI Branch-JDA

Instrument No.: 456123789 Instrument Date:

Dates Detail

Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	01.00 PM
2	Bid Opening Date	03.00 PM

Specific Instrument for eProc Rajasthan

Instrument Type			
Instrument Number	Head Name	Amount	Date
10000	Tender Fee	1000.00	
10001	RISL Processing Fee	1000.00	
10002	Bid Security Deposit	22,00,000	
Issuer Detail: Jaipur Deve	lopment Authority	Challan Nu	mber: 641515600014

Template of Online Receipt as part of NIB Document

Bidder has to submitted as proof of deposited amount against the Bid on eProcurement Protal

Jaipur Development Authority, Jaipur. Bid Participation Receipt			
	Date & Time		
Bid Detail			
Bid ID:	Procurement Entity:-		
Bid Title:			
Bid Value:	Bid Opening Place:		
Bidder Detail			
Name of Entity:	Mobile No.:		
Registration Type:	Instrument Amount:		
Payment Mode: Payment Channel:			
Instrument No.:	Instrument Date:		

Dates Detail		
Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	
2	Bid Opening Date	

Specific Instrument for eProc Rajasthan							
Instrument Type	Instrument Type						
Instrument Number	Head Name	Amount	Date				
	Tender Fee						
	RISL Processing Fee						
	Bid Earnest Money						
	Deposit						
Issuer Detail: Jaipur Development Authority		Challan Number:					

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कुशल / अर्द्वकुशल / अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा —:निविदा की शर्ते:—

ए- निविदा प्राप्ति हेत् वांछित तकनीकी योग्यताएं:-

- 1. निविदादाता को कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल श्रमिक आपूर्ति करने हेतु गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जाने वाला लाईसेन्स होना आवश्यक है।
- निविदादाता के पास ई.एस.आई. / पी.एफ. / जी.एस.टी का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1958 के अन्तर्गत लाईसेन्स, श्रमविभाग द्वारा जारी लाइसेन्स Contract Labour (Regulation and abolition) act 1970 u/s 12(2) एवं अन्य वांछित लाईसेन्स होना अनिवार्य है।
- 3. निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्वसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण में मैनपावर या कुशल/अर्द्वकुशल/ अक्शल श्रमिक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने का 2 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।
- 4. निविदादाता फर्म का गत दो वर्षो में प्रतिवर्ष कम से कम 50.00 लाख का टर्न ओवर होना अनिवार्य है एवं टर्न ओवर इसी व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। निविदादाता को गत दो वर्ष की बैलेन्स शीट एवं लाभ—हानि खाता/आय—व्यय खाता निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा
- 5. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 and Rules 2013 प्रावधानों के तहत् इस निविदा के साथ संलग्न Annexure-A, B, C & D बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
- 6. न्यूनतम सर्विस चार्जेज एक प्रतिशत से कम होने पर बोली प्रपत्र स्वतः ही निरस्त योग्य होगा।
- 7. निविदादाता फर्म का स्थाई खाता संख्या (पैन) एवं इसकी प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

बी- अन्य शर्ते :-

- 1. निविदा की अविध निविदा स्वीकृति से एक वर्ष की अविध हेतु होगी। कार्य संतोषजनक होने पर निविदा अविध सक्षम स्वीकृति पश्चात् परस्पर सहमति से नियमानुसार आगे बढायी जा सकेगी।
- 2. न्यूनतम मजदूरी / पीएफ / ई.एस.आई / जी.एस.टी व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। आगामी माह का भुगतान गत माह की PF/ESI/GST राशि जमा कराने के साक्ष्यों के पश्चात् ही देय होगी।
- 3. अनुबन्धित संवेदकों को निविदा में कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत धरोहर राशि जमा कराया जाना आवश्यक है।
- 4. कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु एक से अधिक एजेन्सियों से न्यूनतम बोली पर समानान्तर अनुबंध किया जा सकता है। एक से अधिक ऐजेन्सिया अनुबंधित किये जाने पर कार्यादेश रोस्टर प्रणाली से जारी किया जावेगा।
- 5. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये जाने वाले कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल श्रमिक के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज/पूर्ण विवरण रखना होगा एवं मांगने पर उपलब्ध कराना होगा।
- 6. प्रत्येक एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिक/सिविलियन गार्डस वर्दी में रहेंगें,प्रत्येक एजेन्सी की अलग वर्दी होगी एंव वर्दी पर एजेन्सी के नाम सिहत बैज होगा।
- 7. प्रत्येक एजेन्सी जविप्रा, में लगे अपने गार्डी की उपस्थिति स्वयं की बायोमैट्रिक मशीन पर करने की व्यवस्था करेगी।
- 8. सफल निविदादाता को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में अपेक्षित संख्या में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने होगे। कार्य सम्पादन के दौरान किसी श्रमिक को कोई शारीरिक एवं मानसिक क्षित होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित एजेन्सी की होगी।
- 9. श्रमिकों के अनुशासन में कार्य करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेन्सी की होगी।
- 10. एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन करने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी एजेन्सी को नियमानुसार ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- 11. निविदादाता को उपरोक्त "ए" में वांछित योग्यताओं संबंधी आवश्यक प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे।
- 12. अमानत राशि, टेण्डर शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा। इनके ऑनलाईन जमा के अभाव में टेण्डर निरस्त माना जायेगा।
- 13. उपरोक्त "ए" में अंकित अर्हताएं पूर्ण नही करने वाली ऐजेन्सी की निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
- 14. निविदादाता द्वारा सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकों एवं शब्दों में अंकित करना होगा।
- 15. किसी बिन्दू पर विवाद होने पर सचिव का निर्णय अंतिम होगा। विवादों के लिए न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

- 16. श्रमिक आपूर्ति का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रकोष्ठ में उनकी उपस्थिति के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।
- 17. एजेन्सी द्वारा जो भी श्रर्मिक उपलब्ध करवाये जायेगें उन्हे शारिरीक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए।
- 18. एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह पॉच तारीख तक बिल प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित ऐजेन्सी की होगी। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी तथा बिल के भुगतान न होने के आधार पर श्रमिकों का भुगतान एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
- 19. श्रमिकों के पर्यवेक्षण हेतु आवश्यकतानुसार सुपरवाइजर रखे जावेंगें जिनको कुशल श्रमिकों की श्रेणी का पारिश्रमिक का भूगतान किया जावेगा।
- 20. किसी भी निविदा / निविदाओं को बिना कारण अस्वीकृत / स्वीकृत करने का अधिकार सचिव, जविप्रा, जयपुर को होगा।
- 21. ALL the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 will be applicable on this tender if there is any contradictions in existing conditions, then provision of The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 shall be applicable.
- 22. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 की धारा—38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या—1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 23. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण उपायुक्त (प्रशासन) से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने / Portal पर अपलोड करने के 7 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना—पत्र सदस्य सचिव, क्रय समिति कमरा नं. 15 जिवप्रा, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो SPP Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47)
- 24. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार भी प्रस्तुत किया जावेगा :-

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थन अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंण्डियन पार्टनरिशप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंण्डिन कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

25. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी जो अनुसंलग्क द्वितीय पर संलग्न हैं :--

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्घारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल श्रमिक	1200	1. अकुशल — रू. 5538		13	4.75		
	उपलब्धं करवाने की सेवाएं		2. अर्द्धकुशल — रू. 5798		13	4.75		
			3. कुशल — रू. 6058		13	4.75		

नोटः जब भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बदाने के आदेश जारी किये जायेंगे तदनुसार बढी हुई दरें स्वतः लागू मानी जावेगी।

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 की पूर्तियां बोलीदाता द्वारा अंकित की जा सकेगी)

- 26. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 27. राजस्थान अनुबंधित (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियमन, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
- 28. यदि जिवप्रा को अंशकालिक (पार्ट टाईम) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अविध के लिये आवश्यकता होगी तो ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घंण्टे से कम अविध के लिए ली जायेगी उन्हे उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
- 29. संवदेक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- 30. गार्डस से निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंण्टे प्रतिदिन) से अधिक कार्य करवाने पर ओवरटाईम कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगनी दर से किया जायेगा। जविप्रा में कार्य की परिस्थित को देखते हुए एक गार्ड को प्रतिमाह 20 घण्टे से अधिक का ओवरटाईम देय नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर सचिव जविप्रा की पूर्व स्वीकृति से 20 घण्टे से अधिक ओवरटाईम स्वीकृत किया जा सकेगा।
- 31. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 32. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवदेक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अनुसर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- 33. संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और नियोक्ता का अंशदान शामिल होगा। संवदेक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.

- आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 34. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्प लाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- 35. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
- 36. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एव सेवा कर की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी. के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तुत एवं सेवा कर के सम्बन्ध में उत्पन्न, होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्क संवेदक का होगा।
- 37. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओ, दिशा–निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों / दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
- 38. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रिमकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मोदी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की राजस्थान एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रिमक (नियमन एवं उन्मूलक) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 39. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवउ अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तदायित्व संवेदक का होगा।
- 40. कार्य सम्पादन अविध के कार्य संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 41. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्राप्त होती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सुचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।
- 42. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पशचात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
- 43. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों / कार्मिको द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
- 44. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 के section-38 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी नामांकित अधिकारी वित्त विभाग राज. जयपुर है।
- 45. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपये ं 2500 / है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी के सक्षम अपील करने हेतु फीस रूपये 10000 / निर्धारित है।
- 46. यदि प्रस्ताव, जिन पर बोली आंमत्रित की गई है, तकनीकी कारणो / बोलीदाता की गलती अथवा अन्य किसी भी कारण से ई—पोर्टल पर प्रदर्शित नही होते है, तो संबंधित बोलीदाता की बोली स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

अनुसंलग्न द्वितीय

भाग-(ब) वित्तीय प्रस्ताव

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (प्रतिमाह)	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुशल/अर्द्धकुशल /अकुशल श्रमिक	1200	1. अकुशल — 2. रू 5538		13	4.75		
	उपलब्धं करवाने की सेवाएं		3. अर्द्धकुशल — रू. 5798		13	4.75		
			4. कुशल — रू. 6058		13	4.75		

- नोट:— 1. GST की राशि का भुगतान पृथक से देय होगा।
 2. कॉलम सं. 5, 8 एवं 9 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जायेंगी।
 1. EPF/ESI में नियोक्ता का अंशदान जविप्रा द्वारा पृथक से देय होगा।
 2. जब भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बदाने के आदेश जारी किये जायेंगे तदनुसार बढी हुई दरें स्वतः लागू मानी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म	का	नाम	व	पता
दुरः	भाष	एवं ग	मो.•	नं

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest. -

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
 - (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
 - (f) The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or service that subject of the bid; or
 - (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

DC(Admin)	Signature of Bidder
JDA, Jaipur	

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

 I/w	relation to my / our Bid submitted to	ting Bids No dated				
1.	I/we possess the necessary professional, technical competence required by the Bidding Document issues.					
2.	I/we have fulfilled my/our obligation to pay such a state government or any local authority as specified	of the taxes payble to the union and the				
3.	I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer] not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;					
4.						
5.	I/we do not have a conflict of interest as speci Document, which materially affects fair competition	_				
Da	te:	Signature of Bidde				
Pla	ice:	Name :				
		Designation :				
		Address :				

DC (Admin) JDA,Jaipur

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is
The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal :-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases :-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions Limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals :-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

DC(Admin)	Signature of Bidder(in case of appeal)
JDA, Jaipur	

Annexure D: Additional Conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and thebe total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
 - If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (1) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding document.
- (2) In case of procurement of Goods or service, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods/services of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

 ${\bf Tender\ Inviting\ Authority:\ JAIPUR\ DEVELOPMENT\ AUTHORITY,\ JAIPUR.}$

Name of Work: Providing services of Various type of labourers/Civilian Security Guards (skilled/semiskilled/unskilled), JDA jaipur.

Contract No: DC (Admn.)-02/2018-19

Quoted Rate in Words	Total in Figures		1.03	1.02	1.01	1	1	स भ		Name of the Bidder/ Bidding Firm/ Company	COILLIACT INO. D
Words		नोटः— 1. GST की राशि का भुगतान पृथक से देय होगा। 2. कॉलम सं. 5, 8 एवं 9 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविद्धियां की जायेंगी। 3. EPF/ESI में नियोक्ता का अंशदान जविप्रा द्वारा पृथक से देय होगा। 4. जब भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बदाने के आदेश जारी किये जायेंगे तदनुसार बढी हुई दरें स्वतः लागू मानी जावेगी।	3. কুংশল — ৰ্জ. 6058	2. अर्बकुशल — ক. 5798	1. अकुशल — रू 5538	कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल श्रीमेक उपलब्ध करवाने की सेवाएं (अनुमानित संख्या — 1200)	2	कार्य की प्रकृति			Colluact Not DC (Auliui,)-04/2016-19
			1.00	1.00	1.00		3	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या			
			Nos	Nos	Nos		4	म्य			
							5	म्हाट्स SCHEDULE सेवा प्रदाता द्वारा सम्म द प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रतिशत दर (प्रतिमाह)	ppiCE cCl		
			13%	13%	13%		6	सह्याप्तः प्रतिशत	TEDITE		
			4.75%	4.75%	4.75%		7	ESI दर प्रतिशत			
INR Zero Only							8	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि			
nly	0.00		0.00	0.00	0.00		9 = (3X5)	TOTAL AMOUNT Without Taxes			
	0.00		0.00	0.00	0.00		10 = (6+7+8+9)	TOTAL AMOUNT With Taxes			
	INR Zero Only		INR Zero Only	INR Zero Only	INR Zero Only		11	TOTAL AMOUNT in Words			